संख्या-50/2017/784/सैंतीस-2-2017-1(22)/10टीसी।।

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-27 जून, 2017

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेन्ट योजना (60 प्रति.के.पो.) के अन्तर्गत लेखानुदान अवधि हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं0-29/एन.एल.एम./रूरल बैकयार्ड/2017-18, दिनांक-08.05.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-103-कुक्कुट विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0105-रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेन्ट योजना (के.60/रा.40-के.+रा.) के मानक मद 27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू0-400.00 लाख के सापेक्ष लेखानुदान अवधि हेतु रू0-160.80 लाख (रूपये एक करोड़ साठ लाख अस्सी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं इस सम्बन्ध में भारत सरकार तथा उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत योजना की गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उपलब्ध केन्द्रांश एवं चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजनान्तर्गत उपलब्ध परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. लाभार्थी को धनराशि उसके बैंक खाते में ही उपलब्ध करायी जायेगी। किसी भी दशा में धनराशि का भुगतान नगद नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन एवं मानक मद में किया जाये जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
5. इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियँत्रक/वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित शर्तों में विचलन की दशा में वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि वह मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त वित्त विभाग को उपलब्ध कराये।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"2403-पशुपालन-103-कुक्कुट विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0105-रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेन्ट योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>पृ0सं0-50/2017/784(1)/सैंतीस-2-2017- तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव (एपीएफ)/संयुक्त आयुक्त (पोल्ट्री), पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।